

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
<p>२९/२१</p>	<p>डिप्टी कमिश्नर सायबेसना उपा। सायबेसना पाठका से मुक्त                      है। बसने से गमना ड्रॉप की जाती है। धारा १०१                      को लागू करके अदालत के कार्यालय से कक्षा से तथा वाह                      नकमी से निलंबित किया है।</p> <p style="text-align: center;"><del>क</del></p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>कोटकासिम (अलवर)</b></p>

